संख्या- 612 /VI/2005-3(6)2004

प्रेषक,

संतोष बडोनी,
अनुसचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून ।

पर्यटन अनुभाग: देहरादून दिनांक 18 जून, 2005

विषय: जिला योजना 2005–2006 के अधीन पर्यटक स्थलो का सौन्दर्यीकरण तथा सुविधाओं हेतु अवशेष धनराशि का धनावंटन के सम्बंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–593/VI/2004–3(6)2004,दिनांक 6 दिसम्बर,2004 एवं आपके पत्र संख्या–91/2–6–215/05–06 दिनांक 1 जून,2005 तथा के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2004–2005 मे स्वीकृत/अनुमोदित धनराशि रू35.32 लाख (पैतीस लाख बत्तीस हजार मात्र) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2004–2005 में स्वीकृत धनराशि 4.00 (चार लाख मात्र)के अतिरिक्त सम्पूर्ण अवशेष धनराशि रू0 31.32 लाख (रूपया इकत्तीस लाख बत्तीस हजार मात्र)की धनराशि को श्री राज्यपाल महोदय व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है जो निम्नानुसार है–

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	योजना का नाम	स्वीकृति धनराशि (रू0 लाख में)	वित्तीय वर्ष 2004–05 में स्वीकृतधनराशि (रू0 लाख मे)	वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि (लाख रू0 में) (अंतिम किश्त)
	जनपद–पौड़ी			
1–	बाल कुमारी मंदिर कटूडवडा देवीखाल का सौन्दर्यीकरण	7.28	1.00	6.28
2–	धनकेश्वर मंदिर का सौन्दर्यीकरण	10.28	1.00	9.28
3–	उफल्डा श्रीनगर में नागराजा मंदिर का सौन्दर्यीकरण	9.90	1.00	8.90
4–	मडुसोली(नैनीडांडा) कालिका मंदिर का सौन्दर्यीकरण	7.86	1.00	6.86
	योग	**35.32**	**4.00**	**31.32**

(रूपये इकत्तीस लाख बत्तीस हजार मात्र)

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है और ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर के ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध मे समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों मे निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों को जो दरें शिडूल आफ रेट मे स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें ।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

7– उक्त योजना पर धनराशि आहरित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त योजनायें जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित हों और जनपद हेतु आवंटित प्लान परिव्यय के अनुरूप ही हो, अथवा सम्बंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेंगें ।

8– यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इन योजनाओं हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृति न हुआ हो इस हेतु सम्बंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा ।

9– योजना/कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सम्बंधित निर्माण एजेन्सी उक्त कार्य स्थल पर इस आशय का एक साइन बोर्ड स्थापित करेगा कि उक्त कार्य पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित किया गया है । कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सम्बंधित जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्य का भौतिक निरीक्षण कर कार्य पूर्ण होने की सूचना यथा समय शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

10–कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

11–कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एंव भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पनी के अनुरूप कार्य किया जायें ।

12–आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय ।

13–निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।

14–कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

15–इन कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण किये जाने हेतु एक कार्ययोजना/पर्ट चार्ट निर्माण इकाई द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं उसके अनुरूप ही निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।योजनायें इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा ली जायेगी तथा योजना की लागत किसी भी दशा में पुनरीक्षित नही होगी।

16–उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्वर्धन तथा प्रचार–91–जिला योजना 07–पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण तथा सुविधायें– 42– अन्य व्यय के मामें डाला जायेगा।

17–उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–559/वित्त अनु0–3/2005, दिनांक 15 जून, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या– (1)VI/2005–3(6)2004 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– जिलाधिकारी, पौडी ।
4– जिला पर्यटन विकास अधिकारी पौडी।
5– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
6– श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त ।
7– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
8– एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय परिसर।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।